न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–23/2022 दायर दिनाँक 23.06..2022

प्रार्थी		अप्रार्थी
1. प्रेमाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी जेवलिया बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम	1. गोपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जेवलियाबास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील प्रार्थी।
2. श्री हरफुल राव वकील अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 21.07.2022

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 85 रकबा 3.8400 हैक्टेयर मौजा सरहद जेवलिया बास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. में अवस्थित है जो की हमारी खातेदारी सुदा खेत है प्रार्थी के उक्त खेत 85 में वर्तमान में खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

यह है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु किसी प्रकार का कोई राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नही है। जिससे प्रार्थी का आवागमन का एकमात्र रास्ता जिसे अप्रार्थी ने अवरूद्ध व बाधित कर दिया। जिससे प्रार्थी के खेत में आवागमन बिल्कुल बन्द हो गया तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है। जिससे भारी परेशानी हो रही है तथा राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होने से तथा खेत पर नही पहुंच पाने से भारी परेशानी व अजहद नुकसान हो रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के अन्य कोई रास्ता नही है। खसार सं0 85 में आवागमन हेतु खसरा सं0 88 वाकै सरहद जेवलिया बास में से नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी जो रास्ता गाड़ी ट्रेक्टर आने जाने जितना चौड़ा करीब 14 फुट व लगभग 200 लम्बाई का दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु नजरी नक्शे में दर्शित मार्क A से B सबसे नजदीक रास्ता है।

राजीनामा अनुसार अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 88 पर मार्क ए से बी प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा सं0 85 रकबा 3.8400 हैक्टेयर मौजा सरहद जेवलिया बास में आवागमन हेतु खसरा सं0 88 में से राजीनामा एवं नजरी नक्शा मार्क ए से बी प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **21.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner